रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2008/श्रावण 22, 1930
No. 443] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2008/SRAVANA 22, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 591(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1—77 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ), दिनांक 7 जून, 2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 706(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 131(अ), दिनांक 3 मार्च, 2006, सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 5 सितम्बर, 2006 और सा.का.नि. 575(अ), दिनांक 5 सितम्बर, 2007 के साथ पठनीय, पृष्ठ 2 पर, नियम 1 के उप-नियम (2) को निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा,—

"(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2 के उप-नियम (ii) के खंड (क), खंड (च) के मद संख्या क. 11.02.06, क. 11.02.06.01, क. 11.02.06.02, खंड (छ) के मद संख्या क. 11.02.07, क. 11.02.07.01, क. 11.02.07.02, क. 11.02.08 और खंड (ङ) तथा परिशिष्ट 'ग' की सारणी-14 और परिशिष्ट 'घ' की सारणी-3 में उनसे संबंधित प्रविष्टियां, जो तीन वर्ष और छह माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।"

[सं. पी. 15014/7/2002-जन स्वास्थ्य (खाद्य)]

देवाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, में का.नि.आ. 2106, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ), तारीख 5-7-2008 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th August, 2008

G.S.R. 591(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 356(E), dated the 7th June, 2005, [Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1—77 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum G.S.R. 706(E), dated 6th December, 2005, G.S.R. 131(E), dated 3rd March, 2006, G.S.R. 532(E), dated 5th September, 2006 and G.S.R. 575(E), dated 5th September, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 44, sub-rule (2) of rule 1, shall read as follow,—

"(2) They shall come into force after nine months except clause (a), items No. A.11.02.06, A. 11.02.06.01, A.11.02.06.02 of clause (f), items No. A.11.02.07, A.11.02.07.01, A. 11.02.07.02, A.11.02.08 of clause (g) and clause (m) of sub-rule (ii) of rule 2 and entries relating thereto in Table 14 of Appendix-C and Table 3 of Appendix-D, which shall come into force after three years and six months from the date of their publication in the Official Gazette."

[No. P. 15014/7/2002-P.H. (Food)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India *vide* S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* G.S.R. 500(E), dated the 5-7-2008.s

3067 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.